संख्या- 12/1756 ई-1/तेरह-2014-499(16)/2013

प्रेषक,

मधु माथुर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।
आबकारी अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2014

विषयः- जनपद अम्बेडकर नगर में जिला आबकारी कार्यालय भवन का निर्माण का कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- सी 2790/तीन-लेखा-150, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. जनपद अम्बेडकर नगर में जिला आबकारी कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में निर्माण की आंकलित लागत रू0 41.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 20.55 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-06 ई-1/तेरह-2014-499(16)/2013, दिनांक 06 फरवरी, 2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 20.55 लाख को अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-06 ई-1/तेरह-2014-499(16)/2013, दिनांक 06 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शर्तों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित् किया जायेगा। एतद्द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित् कर लिया जाय। प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

4. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-1 (आयोजनेत्तर) के लेखाशीर्षक-"4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01 कार्यालय भवन,051-निर्माण, 06-जनपद अम्बेडकर नगर में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य-24 बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या- 12/1756 (1) ई-1/तेरह-2014-499(16)/2013, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-5, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ.। सम्बन्धित उप/संयुक्त आबकारी आयुक्त।
5. कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in